रजिस्ट्री सं डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 1987/श्रावण 12, 1909
No. 396] NEW DELHI, MONDAY, AUG. 3, 1987/SRAVAN 12, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1987

अधिसूचना

का.आ. 757(अ)—बाल श्रमिक (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बालकों की कार्य दशाएं विनियमित करने के उद्देश्य से उन प्रतिष्ठानों पर, जहां उनके सामने लिखे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित की जा रही निम्नलिखित प्रक्रियाओं में, उक्त अधिनियम के भाग III के उपबंधों को लागू करती है

1. जरी बनाना और कशीदाकारी—दिल्ली और उत्तर प्रदेश
2. बहुमूल्य रत्नों की पालिश करना—गुजरात और राजस्थान

3. स्लेट और स्लेट पेंसिल विनिर्माण--मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश

[एस. 20725/60/86-सी एल]

अशोक नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd August, 1987

NOTIFICATION

S.O. 757 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, the Central Government in order to regulate the conditions of work of children, applies the provisions of Part III of the Act of the establishments where the following processes are carried on in the States/Union territories mentioned against them:—

1.	Zari Making and Embroidery	Delhi and Uttar Pradesh.
2.	Precious Stone Polishing	Gujarat and Rajasthan.
3.	Slate and Slate pencil manufacturing	Madhya Pradesh and Uttar Pradesh

[No. S-27025/60/86-CL]

ASHOK NARAYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987